



दूरभाष - 286709
286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0

नव चेतना केन्द्र, 10, अशोक गार्ड, लखनऊ 226001

पत्रांक 4396 / 198 / तीन / 2015-16

दिनांक 5/5/15

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत अभिकरण के कार्यालय आदेश संख्या 4396 / 198 / तीन / 2014-15 दिनांक 05.02.2015 ह्वारा श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, सूडा को अभिकरण का जनसूचना अधिकारी तथा अधिनियम के प्रावधानानामेत प्रथम अपील हेतु डा० अनिल कुमार सिंह, अपर निदेशक को अभिकरण का प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया गया था। डा० अनिल कुमार सिंह, प्रथम अपीलीय अधिकारी के अभिकरण से अन्यत्र स्थानान्तरित हो जाने के फलस्वरूप एतद्वारा तत्काल प्रभाव से श्री इन्द्रपाल कर्नौजिया, परियोजना निदेशक, सूडा को अभिकरण मुख्यालय का जनसूचना अधिकारी नामित किया जाता है। जनसूचना अधिकारी, सूडा/दूडा के निर्णय के पिरवृद्ध प्रथम अपील की सुनवाई हेतु श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक अभिकरण के प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे।

2. राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ में नामित जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी से संवैधित तिवरण निम्नवत हैः-

जनसूचना अधिकारी

श्री इन्द्रपाल कर्नौजिया,
परियोजना निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नवचेतना केन्द्र, 10-अशोक भाग,
लखनऊ दूरभाष- 0522-2286714

प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री लाल प्रताप सिंह,
वित्त नियंत्रक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
नवचेतना केन्द्र, 10-अशोक भाग,
लखनऊ दूरभाष- 0522-2286713

(श्रीलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, सचिव, नगर विकास/नगरीय रोजगार एवं ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0शारान को सदिय महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, राज्य सूचना आयोग, इन्द्रिय भवन, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0शासन।
4. रामरता जनसूचना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
5. राहायक वेब मास्टर, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 को इस निर्देश के राथ प्रेषित कि उक्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करायें।
6. निदेशक कैम्प/सगरत अधिकारी, सूडा मुख्यालय।

(श्रीलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक